बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

-:: आदेश ::-

पटना-15 दिनांक..................

श्री विजय पटेल, कार्यालय परिचारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना पिता-श्री राम सागर महतो, थाना-कदमकुआँ, पटना के विरूद्ध श्री मुकेश कुमार द्वारा कदमकुआँ थाना कांड संख्या-504/25 में दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री पटेल को कदमकुआँ पुलिस द्वारा दिनांक 21.07.2025 को दो मित्रों के साथ शराब पीने के जुर्म में जेल भेजे जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग में नौकरी लगाने व झूठा आश्वासन देकर कई लोगों से पैसे की ठगी करने संबंधी परिवाद पत्र समर्पित किया गया।

उक्त समर्पित पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-19677 दिनांक-15.10.2025 द्वारा काराधीक्षक, बेऊर जेल, काराधीक्षक, फुलवारीशरीफ जेल एवं थानाध्यक्ष, कदमकुआँ से कदमकुआँ थाना कांड संख्या-504/25 में श्री पटेल के काराधीन अवधि की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना के पत्रांक-13889 दिनांक-24.12.2025 द्वारा सूचित किया गया कि "कदमकुआँ थाना कांड संख्या-504/25 के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त श्री विजय पटेल, पिता राम सागर महतो माननीय न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद-द्वितीय, पटना से दिनांक-21.07.2025 को रिमाण्ड होकर इस कारा में प्रवेश पाया था तथा दिनांक-23.07.2025 को माननीय न्यायालय से प्राप्त मुक्ति आदेश के आलोक में अभियुक्त को कारामुक्त कर दिया गया। इस प्रकार विषयांकित अभियुक्त इस कारा में विचाराधीन बंदी के रूप में दिनांक-21.07.2025 से 23.07.2025 तक संसीमित रहा।"

वर्णित तथ्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री पटेल दिनांक-21.07.2025 से 23.07.2025 तक आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर पटना में संसीमित रहे हैं। श्री पटेल द्वारा उनके विरूद्ध कदमकुआँ थाना कांड संख्या-504/25 दर्ज होने एवं उक्त काण्ड में दिनांक-21.07.2025 से 23.07.2025 तक काराधीन होने की सूचना इस विभाग को नहीं दी गयी बल्कि उक्त तथ्य को छिपाया गया तथा पिताजी की तबियत खराब होने का उल्लेख करते हुए आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया। राज्य में शराबबंदी लागू होने के बावजूद श्री पटेल द्वारा शराब का सेवन किया गया। श्री पटेल का उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 एवं 4 के प्रतिकूल है।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री विजय पटेल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(2) (3) के तहत उनकी काराधीन अवधि दिनांक-21.07.2025 से 23.07.2025 तक के लिये निलंबित किया जाय तथा कारामुक्त होने के उपरांत दिनांक-24.07.2025 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाय।

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री विजय पटेल, कार्यालय परिचारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(3) के तहत

कृ0पृ030

उनकी काराधीन अवधि दिनांक–21.07.2025 से 23.07.2025 तक के लिये निलंबित किया जाता है। तथा कारामुक्त होने के उपरांत दिनांक– 24.07.2025 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। इस संबंध में श्री पटेल के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया जा रहा है। उनकी निलंबन अवधि का विनिश्चय अनुशासनिक कार्रवाई के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।

ह०/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4/आरोप–IV–6–01/2026, सा०प्र०...644... /पटना, दिनांक...22.1.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा–22, 23/अवर सचिव, लेखा प्रशाखा–19/श्री विजय पटेल, कार्यालय परिचारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/1/2026

सरकार के अवर सचिव।